न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

135

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4201—एक/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—04—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 24/निगरानी/2010—11.

.....

माखन लाल पुत्र किशनलाल
निवासी ग्राम अतरालिया तहसील
ब्यावरा जिला राजगढ म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1—रामसिंह पुत्र नाथू मीना
2—दशरथ पुत्र रामसिंह
निवासी ग्राम गिन्दौर मीना
तहसील ब्यावरा जिला राजगढ म0 प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय है।

.....

आदेश

(आज दिनांक 20-08-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—04—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2—प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम गिन्दौर मीना स्थित खसरा कमांक 422 रकबा 1.227 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु

नायब तहसीलदार न्यायालय मलावर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 55/अ–12/01–02 में दिये गये निर्देश के पालन में दिनांक 4.12.02 को सीमांकन की कार्यवाही की गई । सीमांकन की कार्यवाही में खसरा कमांक 422 रकबा 1.227 भूमि में से 0.253 है0 पर अनावेदक का कब्जा पाया गया। सीमांकन की कार्यवाही के आधार पर आवेदक द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ नायब तहसीलदार न्यायालय ने अनावेदक को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाने पर सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा के न्यायालय में भिजवाया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13.10.10 द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश से परिवेदित होकर निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 16.4.13 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुये अस्वीकार की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता को 15 दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था लेकिन उनके द्वारा लेखी बहस आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक का खसरा कमांक 422 रकबा 1.227 है0 भूमि में से 0.253 है0 पर भूमि पर अवैधानिक कब्जा पाया गया। आवेदक द्वारा सीमांकन के उपरांत भी आवेदक की भूमि से कब्जा नहीं हटाया गया। आवेदक ने तहसीलदार के न्यायालय में धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अनावेदक को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश देते हुये नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण भेजा गया, लेकिन उनके द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुये अपर आयुक्त भोपाल द्वारा निगरानी निरस्त की गई है जो त्रुटिपूर्ण आदेश है इसे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये । प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक ने अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम गिन्दौर मीना स्थित खसरा कमांक 422 रकबा 1.227 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु नायब तहसीलदार न्यायालय मलावर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 55/अ–12/01–02 में दिये गये निर्देश के पालन में दिनांक 4.12.02 को सीमांकन की कार्यवाही की गई । सीमांकन की कार्यवाही में खसरा कमांक 422 रकबा 1.227 भूमि में से 0.253 है0 पर अनावेदक का कब्जा पाया गया। सीमांकन की कार्यवाही के आधार पर आवेदक द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ नायब तहसीलदार न्यायालय ने अनावेदक को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाने पर सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा के न्यायालय में भिजवाया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13.10.10 द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। प्रकरण प्रत्यावर्तित इसलिये उचित था क्यों कि तत्कालीन कलेक्टर जिला राजगढ द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–31/91–92 में पारित आदेश दिनांक 31.10.92 में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत रोड़ीलाल पिता बिहारीलाल मीना (आदिवासी) निवासी गिन्दोर मीना को रूपये 12,000/–में उसे भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि में से सर्वे नं0 422 में से रकबा 0.506 है0 भूमि माखनलाल पिता किशनलाल निवासी अतरालिया को विक्रय करने की अनुमति दी गई थी क्या,? म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) बिना कलेक्टर की अनुमति के उक्त भूमि कय की गई है क्या,? इसलिये अनावेदक को जेल भेजने के पूर्व उक्त जांच कराने का निर्णय दोनो अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा लिया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, नायब तहसीलदार वृत्त मलावर प्रकरण में आवेदक की विवादित भूमि पर हुये नामांतरण के संबंध में जांच किये जाने का आदेश अनुविभागीय आधिकारी द्वारा दिया गया है जो उचित है। इसलिये अपर आयुक्त भोपाल द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनका आदेश दिनांक 16.04.2013 स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 24/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2013 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर